>

Title: The Minister of Rural Development laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development.

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी.जोशी): मैं यह वक्तव्य माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क, जिसे दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के द्वारा जारी किया गया था, के अनुपालन में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन लोक सभा में 17.12.2009 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन भूमि संसाधन विभाग की वर्ष 2009-10 की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है। समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/िटप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को 12.02.2010 को भेज दी गई थी।

ये सिफारिशें मुख्यतः भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, वाटरशेड विकास के संबंध में नई योजनाओं को कार्यान्वित करने, भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत/अद्यतन करने तथा ग्याहरवीं योजना के दौरान बायो-ईंधन योजना को आरंभ करने से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सभा पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।